



प्रकारण के रीपसर का अजावगी को असादि  
 निरोधना से संबन्ध किया गया। अजावगी को परिसे  
 नोटीस बलब किया गया। आपेशा दिनांक 21/11/18  
 को परिसे किया गया। इस के विरुद्ध अजावगी द्वारा  
 माननीय न्यायालय राफतव अपील जस्टिस जे.पी.एस.  
 के अपील से 15/12/18 पर सुनवाई की गई। इससे  
 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10/11/2018 को  
 निर्णय परिसे का आपेशा दिनांक 22/11/18 को  
 निरस्त किया गया। माननीय न्यायालय हे निर्णय  
 को प्रभावित कर और वृत्त प्रभावली प्रपक्षके  
 पर प्रभावली को पुनः हारीद्व जेरी पर ली गई।  
 एके प्रभावली का अन्तर्गत किया। अपीलके  
 न्यायालय द्वारा निर्णय परिसे किया गया जो संलग्न  
 प्रभावली है। निर्णय से इस न्यायालय को किमी  
 प्रकार से पुनः अलग पर निर्णय परिसे काके  
 हेतु दिनांक निर्देशा उदान नही किने जे प्रकरण  
 रीमाण नही किया गया। प्रकरण के के रीपसर  
 के आपेशा को ही खारिज कर दिया गया।  
 प्रकरण को पुनः नम्बर पर नैसर कार्यवाही  
 कले के आपेशा उदान नही किने जे अतः  
 प्रकरण में ली जा रही कार्यवाही को इसी संतर  
 पर बंद किया जा रहा है। प्रभावली के संलग्न शुभा  
 केकर, नम्बर से लम होकर, गरिबल रफतल  
 है।

सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

कि अप्रार्थी क  
 तेदारी भूमि पर क  
 न्तु अप्रार्थीगण ख  
 अवेध रूप से क्रे  
 3 है कि अप्रार्थीग  
 तेदारान के इस

इस  
 निप्रद कार्य कि  
 अधिनियम 1955  
 म्वर 139/23/1  
 139/23/2  
 मि से अप्रार्थीग  
 र्थना पत्र राज्य

में भं  
 न्दू 1 से 4  
 स्तदुआ है जं